- 48

प्रारुप–30.2

योजना का नाम :–देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड नैनीतालपरिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.3326हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.571हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.0301 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.3326हे0 वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक 26/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–श्री विनोद कुमार,उपजिलाधिकारी ——————————अध्यक्ष
2– श्री ——————उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य
3– श्री/मती प्रेम रावत प्र०सहायक समाज कल्याण अधिकारी————सदस्य/सचिव
4– श्री हिमांशु पाण्डे ——बी0डी0सी0 क्षेत्र देवीधुरा ——————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवीधूरा कून पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.3226.हे0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीतालपरिक्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.3326 हे0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–...........नैनीताल
जनपद ....नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– नैनीताल
जनपद– नैनीताल

Himanshu Pandey
ज्येष्ठ प्रमुख
भीमताल (नैनीताल)

प्र० सहायक समाज कल्याण अधिकारी भीमताल

तहसीलदार नैनीताल

परगनाधिकारी नैनीताल